इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

25-2/3

प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त
[illegible] हुए। सर्वे [illegible]
गया। वर्तमान प्रार्थी की प्रार्थना
पत्र पर प्रथम विचारण किया गया
मुख मौजा परवर तहसील गौरीहार
की आराजी नम्बर 167, 170 मध्य
मीटर 2 रकबा पर्वीया [illegible]
मुझे शिकायत का [illegible] में प्रार्थी
की जानकारी नहीं होने से
पड़ोसियों द्वारा सीमा संबंधित
विवाद के संबंध में [illegible]
कथनानुसार पड़ोसियों के [illegible]
बयान भी लिए गए थे।

प्रार्थी के अभिभाषक ने
की तो सुनवाई में नक्शा जमाबन्दी
सन्- 2010-13 व खेवट
का [illegible] प्रस्तुत किया
गया।

वर्तमान प्रार्थी की ओर
पश्चिम उत्तर कोने में [illegible]
की नवनिर्माण सीमा गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-
पत्र स्वीकार [illegible] जाता है कि मौजा
मौजा परवर तहसील गौरीहार की
आराजी नम्बर 167, 170 कुल मीटर
2.2 रकबा पर्वीया भूमि की
कथनानुसार पूरे [illegible] की
पड़ोसियों को [illegible] दिये जाने की
[illegible] अभिलेख
[illegible] मीटर 1.00
[illegible] प्रार्थी उक्त [illegible] के लिए
[illegible] अधिकृत [illegible]
[illegible] दिया जाता

[illegible] 20-7-20